उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग-9

संख्या

/2020/XXVII(9)/स्टाम्प-82/2009 देहरादून : दिनांक 22जून, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 78 एवं धारा 79 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या एस0आर0 976 / दस-550 (51)-76 दिनांक 31 मार्च 1976, (परिशिष्ट सात) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय-समय पर यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात्:-

2. अधिसूचना संख्या एस0आर0 976 / दस-550 (51)-76 दिनांक 31 मार्च 1976 (जिसे इसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की रिजरट्रीकरण फीस सारिणी में अनुच्छेद 2 के स्पष्टीकरण (1) एवं (2) को विलोपित करते हुये, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अनुच्छेद 2 के खण्ड (क) तथा (ख) एवं स्पष्टीकरण (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये अनुच्छेद / स्पष्टीकरण रख दिये जायेगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-1			स्तम्म-2	
विद्यमान अनुच्छेद-2			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुच्छेद–2	
अनुच्छेद 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस		अनुः	छेद 1 के अधीन	रजिस्ट्रीकरण के
के अतिरिक्त :-		लिये	फीस के अतिरिक्त	
(क) पुरितका 1, 3 या 4 में किसी दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिये (यदि प्रतिलिपि बनाना हो)	या उसके भाग के लिये 5.00 रुo किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम		4 में किसी दरतावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिये (यदि प्रतिलिपि बनाना	रुपये 2/– प्रति पृष्ठ, किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम रुपये 100/–
	10.00 रुपया		हो)	
(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियग		(ख)	रजिस्ट्रेशन	रुपये 2/- प्रति
1908 की धारा 18क के अधीन मूल के साथ किये गये किसी दस्तावेज की प्रति के मिलान के लिये उत्तर प्रदेश रिजस्ट्रेशन मैनुअल भाग-2 के नियम 362 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की, जो मूल सहित पेश किये गये हों, द्वितीय प्रतियों के मिलान के लिये	के लिये 5.00 रु0 किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम		के नियम 362 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की, जो मूल सहित पेश किये गये हों, द्वितीय प्रतियों के मिलान के लिये	पृष्ठ, किन्तु प्रत्येक दस्तावेज के लिये न्यूनतम रुपये 100/-
स्पष्टीकरण .		स्पष्टी		
(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 65 और 66 के अधीन दूसरे कार्यालय को भेजने		(3)	रजिस्ट्रीकरण अधि धारा 65 और 66	नियम 1908 की के अधीन दूसरे

के लिये दस्तावेजों की बनायी गयी समस्त प्रतियों पर भी पूर्ववर्ती मानक्रम के अनुसार फीस ली जायेंगी, इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की घारा 64, 65, 66 और 67 के अधीन तैयार किये गये प्रत्येक ज्ञापन के सम्बन्ध में दो रूपये की निर्धारित फीस ली जायेगी। कार्यालय को भेजने के लिये दस्तावेजों की बनायी गयी समस्त प्रतियों पर भी एवं इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 64, 65, 66 और 67 के अधीन तैयार किये गये प्रत्येक ज्ञापन के सम्बन्ध में रुपये 2/- प्रति पृष्ठ, परन्तु न्यूनतम रुपये 100/- की निर्धारित फीस ली जायेगी।

 उक्त अधिसूचना की रिजस्ट्रीकरण फीस सारिणी में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अनुच्छेद 13 की टिप्पणी (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी टिप्पणी रख दी जायेगी अर्थात:-

(2) यदि कोई आवेदन जिसने नियम (1) के (2) यदि अनुसार फीस का भुगतान कर दिया है, ऐसी प्रति के अनुसा आवेदन पत्र के दिनांक को दिये जाने की अपेक्षा ऐसी प्रति	र फीस का भुगतान कर दिया है,
(2) यदि कोई आवेदन जिसने नियम (1) के (2) यदि अनुसार फीस का भुगतान कर दिया है, ऐसी प्रति के अनुसा आवेदन पत्र के दिनांक को दिये जाने की अपेक्षा ऐसी प्रति	कोई आवेदक जिसने नियम (1) र फीरा का भुगतान कर दिया है.
करें या वह ऐसे आवेदन पत्र के दिनांक को जाने की प्रस्तुत किये गये टिप्पणी (1) के अधीन में विहित अविलम्बनीय प्रतियों के लिये दस्तावेजों और होगी। आवेदन पत्रों के ऊपर अग्रता की मांग करे उससे ऐसे प्रति के लिये टिप्पणी (1) के अधीन दी गई कीस के अतिरिक्त 4 रूपये या यदि प्रति में शब्दों की संख्या 1200 शब्दों से अधिक हो तो प्रत्येक 300 शब्द या उसके भाग के लिये 1 रूपये की चरित फीस ली जायेंगी। ऐसी फीस का भुगतान किये जाने पर भी ऐसी प्रति, जिसमें 3600 शब्द प्रति कार्य दिवस के हिसाब से प्राप्त हो।	अपेक्षा करें तो फीस अनुच्छेद 2

 उक्त अधिसूचना के उपबंध इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक के आगामी देन से प्रभावी होगें।

> (अमित सिंह नेगी) सचिव।

संख्या—(1)/2020/ XXVII(9)/स्टाम्प—82/2009 तद्दिनांक। प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3. प्रमुख सचिव, विधायी, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- मण्डलायुक्त कुमायूँ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशनोंपरान्त 100-100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा) अनु सचिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 121/2020/XXVII(9)/Stamp/82/2009, dated 122 June, 2020 for general information.

Finance Section-9
No/ /2020/XXVII(9)/ Stamp/82/2009,
Dehradun: dated: 3 / June, 2020

Notification

In exercise of the powers conferred by Section 78 and Section 79 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16, 1908), the Governor is pleased to make following amendment in previously issued notification No. SR 976 / Ten-550 (51) -76 dated 31 March 1976, (Appendix Seven) (as applicable in the State of Uttarakhand) and to the registration fee table as amended from time to time, namely: -

2. Omitting the Explanation (1) and (2) Article 2 in the Registration Fee Table of the Notification No. SR 976 / Ten-550 (51) -76 dated 31 March 1976 (hereinafter referred to as the said notification), clause (a) and (b) and Explanation (3) of Article 2 as set out in column-1 shall be substituted by the Article/Explanations as set out in column 2, namely: -

	Column-1			Column-	2
Existing Article-2		Hereby substituted Article-2			
Artic	Idition to the fees for registele 1: - To make copy of any documents in booklet 1, 3 or 4 (if it is to be copied)	Rs.5.00 per 500 words or part thereof but minimum Rs.10.00 for each document		ition to the fees fo Article 1: - To make copy of any documents in booklet 1,3 or 4 (if it is to be copied)	Rs 2 / - per page, but minimum Rs 100 / - for each
(B)	Under Section 18-A of the Registration Act 1908, for matching the copy of any document made with the original, the documents	Rs.5.00 per 500 words or part thereof but minimum		For matching the second copies of the documents specified in Rule 362 of the	page, but minimum Rs 100 / - for each

£6,

Scanned with CamScanner

presented with the original, for the match of second copies.			which are presented along with the original.
The explanation	n		The explanation
Registration Act 1908, charged on all copies made for sending to an per the preceding norm those prepared under s 66 and 67 of the said of two rupees will			On all copies made of document for sending to another officunder Sections 65 and 66 of the Registration Act 1908 and is addition to each memorandur prepared under Sections 64, 65 66 and 67 of the said Act. Rs.2 - per page, but the minimum fixed fee of Rs 100 / - shall be charged.

3. In the registration fee table of the said notification, the comment set out in column-2 shall be substituted by the comment of the existing Article 13 set out in column-1 below, namely:-

Column-1	Column-2
Existing comment	Hereby substituted comment
(2) If any application which has paid the fees	(2) If any applicant who has paid the
as per rule (1), expect such copy to be given	fees as per rule (1), expects such copy
on the date of the application or for indelible	to be given on the date of application,
copies under comment (1) submitted on the	
date of such application in addition to the fees	rate of fees prescribed in Article 2.
paid under comment (1) for such a copy, fee	
of Rs 4 or if the numbers of words are more	
than 1200 words than for every 300 words or	
part thereof, quick fees of Rs 1 will be	
charged. Even on payment of such fees, such	
copy, in which 3600 words are received per	
working day.	

4. The provisions of the said notification shall come into effect from the next day of issuance of the notification.

(Amit Singh Negi) Secretary